



पेंशन प्राधि./स्टेट/एफ.एफ./गार्ड फाइल/2021-22 /1038

संख्या / No.....

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date. 12-7-22

प्र.महालेखाकार (लेखा एवं हक),

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अंतर्गत

उत्तराखण्ड, अखिराम मोर्टिस बिल्डिंग

सहरनपुर मार्ग, देहरादून - 248171

विषय: दिनांक 01.04.2021 से स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन एवं चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (गुप-6) विभाग ने उनके पत्र क्रमांक प.4(4)साप्र./6/2008 दिनांक 26.03.2021 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन में दिनांक 01.04.2021 से वर्तमान में मिल रही रु.25,000/- प्रतिमाह से वृद्धि कर रु.50,000/- प्रतिमाह किये जाने तथा पूर्व में देय चिकित्सा राशि रु. 5000 /- प्रतिमाह यथावत रहने की स्वीकृति दी है।

उक्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

उपि मल्लेश्वरी
2
21/7/22

UD-53
22/7/22

Pension
20/7



जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263

Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 4(4)साप्र/6/2008

जयपुर दिनांक 26.03.2021

निर्देशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.02.2019 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रु. 25,000/- को बढ़ाकर 50,000/- रुपये (अक्षर पचास हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व में देय विकित्सा राशि रु. 5000/- प्रतिमाह यथावत रहेगी। उक्त स्वीकृति 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

उक्त व्यय बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई0डी0 क्रमांक 102101244 दिनांक 10.03.2021 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय

(राजीव शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को बढ़ी हुई पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था करवाएं।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

11
संयुक्त शासन सचिव